न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / टीए / 238 / 2001 / जोधपुर

1— नाथूराम पुत्र प्रभूराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1. तृप्ती देवी पत्नि नाथूराम
1/2. रामनिवास पुत्र नाथूराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/2/1. सुगना पत्नि रामनिवास
1/2/2. महेश पुत्र रामनिवास
1/2/3. जितेन्द्र पुत्र रामनिवास
2— मदन पुत्र प्रभूराम
समस्त जाति जाट निवासी 60 लोको शेड के पास रातानाडा, जोधपुर।

.....अपीलार्थीगण

बनाम

1— मोटाराम पुत्र गोरधनराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
1/1. गेहरी देवी बैवा मोटाराम
1/2. मुलतानराम पुत्र मोटाराम
1/3. ओमप्रकाश पुत्र मोटाराम
1/4. सीता देवी पुत्री मोटाराम
2— रामूराम पुत्र सूजाराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
2/1. हरसखराम पुत्र रामूराम
2/2. ओमप्रकाश पुत्र रामूराम
2/3. वीरी देवी बैवा रामूराम
समस्त जाति जाट निवासी दईबडा बास जालेली नायला जोधपुर।
3— दाखूडी बैवा गंगाराम
4— पप्पू पुत्र गंगाराम
5— मोतीराम पुत्र गोरधनराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
5/1. लक्ष्मणराम पुत्र मोतीराम
5/2. मघाराम पुत्र मोतीराम
5/3. गोपाराम पुत्र मोतीराम
5/4. मकनाराम पुत्र मोतीराम
6— घेवरराम पुत्र गोरधनराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
6/1. मु0 गैरी बैवा घेवरराम
6/2. चतराराम पुत्र घेवरराम
6/3. सोहनपाल पुत्र घेवरराम
6/4. ललिता बैवा बलदेव सिंह
6/5. खुशालसिंह पुत्र बलदेव सिंह

7— जोराराम पुत्र सूजाराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
7/1. किस्तूरी देवी बैवा जोराराम
7/2. मोहनराम पुत्र जोराराम
7/3. अशोक पुत्र जोराराम
7/4. भंवरी देवी पुत्री जोराराम
8— हीराराम पुत्र सरदारराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
8/1. भीयाराम पुत्र हीराराम
8/2. प्रभुराम
8/3. दिलीप पुत्र चन्द्राराम
9— मंगलाराम पुत्र सूजाराम (मृतक) जरिये वारिसानः—
9/1. छोटी देवी बैवा मंगलाराम
9/2. श्रवणलाल पुत्र मंगलाराम
9/3. बेबी पुत्री मंगलाराम
9/4. मैना पुत्री मंगलाराम
9/5. स्वरूप पुत्र मंगलाराम
9/6. सुमित्रा पुत्री मंगलाराम
9/7. सीता पुत्री मंगलाराम
समस्त जाति जाट निवासी जालेली नायला तहसील व जिला जोधपुर।
10— राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर।

..... **प्रत्यर्थीगण**

खण्ड—पीठ
डॉ. शिव प्रसाद सिंह, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थित :
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण
श्री दुनीचंद डिढारिया, अभिभाषक प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः— 25—8—2025

1— यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21—12—2000 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थीगण वादीगण ने प्रत्यर्थीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक राजस्व वाद बाबत् खातेदारी घोषणा, रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा का न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर के समक्ष ग्राम जालेली नायला तहसील जोधपुर में अवस्थित आराजी खसरा नम्बर 58, 96, 166, 346, 188, 70, 344 व 350 कुल रकबा 234 बीघा 12 बिस्वा भूमि जिसके मिन नम्बर 346/1, 70/2, 58/96, 344/1, 70/3, 166, 350/1, 346 व 70/1 हैं, बाबत इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया कि वादीगण के दादा छोगाराम अपने जीवनकाल से ही इस भूमि पर काश्त करते थे, उनकी मृत्यु के पश्चात उनके तीनों पुत्र गोरधनराम, प्रभुराम व सुजाराम बतौर खातेदार काश्तकार रहे। वक्त बन्दोबस्त सेटलमेन्ट विभाग द्वारा वादीगण के पिता प्रभुराम के गांव में नहीं होने से वादग्रस्त आराजी केवल गोरधनराम व सुजाराम के नाम से परचा लगान जारी कर दिया जबकि तीनों भाईयों का उपरोक्त भूमि पर बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित होने से 1/3 हिस्से पर प्रभुराम की मृत्यु पश्चात अपीलार्थीगण वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम गोरधनराम व सुजाराम के स्वर्गवास के पश्चात विरासत के आधार दर्ज हो गयी है। पक्षकारों के मध्य दिनांक 06–9–1971 को हुआ बंटवारा विधिविरूद्ध किया गया था। इसलिए अपीलार्थीगण वादीगण का 1/3 हिस्सा घोषित करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। विचारण न्यायालय ने वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया, किन्तु बावजूद सम्मन तामील प्रतिवादीगण का असालतन या वकालतन अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण पर विधिवत तामील मानते हुए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने का आदेश पारित किया गया। वाद के विचाराधीन रहते वादीगण ने दिनांक 20–1–1997 को आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वाद को संशोधित किये जाने का निवेदन करने पर विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 26–02–1997 द्वारा स्वीकार करते हुए वादीगण के वाद को संशोधित करने का आदेश प्रदान कर दिया। संशोधित वादपत्र प्रस्तुत होने पश्चात विचारण न्यायालय ने वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनकर निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28–02–1997 द्वारा वादीगण का वाद डिक्री कर दिया। तत्पश्चात विचारण न्यायालय ने वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 व 152 सीपीसी को निर्णय दिनांक 29–07–1998 द्वारा स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 28–02–1997 को संशोधित कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–1997 के विरूद्ध प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर के

समक्ष अपील प्रस्तुत की। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 21–12–2000 द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय में वाद में दिनांक 09–01–1997 के बाद हुई समस्त कार्यवाही, वाद संशोधन व जारी निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–1997 को निरस्त करते हुए प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को विधिसम्मत कार्यवाही करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। साथ प्रत्यर्थीगण को छूट प्रदान की गई कि वे उनके विरूद्ध शुरू में हुई एकपक्षीय कार्यवाही को निरस्त करवाना चाहें तो उनके द्वारा विचारण न्यायालय में पेश किये गये आवेदन आदेश 9 नियम 13 सीपीसी की सुनवाई हेतु विचारण न्यायालय से निवेदन कर सकते हैं। इस निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3– उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी गई। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण के अभिभाषकगण द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गई।

4– विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपील ज्ञापन व लिखित बहस में उद्वरित तथ्यों को दोहराते हुये अभिकथन किया कि प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 4 ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.1997 के विरूद्ध अपीलीय न्यायालय के समक्ष लगभग 2 वर्ष पश्चात मियाद बाहर अपील प्रस्तुत की थी। अपीलीय न्यायालय ने उनके समक्ष विचाराधीन अपील का निस्तारण करने से पूर्व धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण ही नहीं किया, जबकि उनके लिये यह आवश्यक था कि सर्वप्रथम धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते। ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–1997 पश्चातवर्ती संशोधित निर्णय व डिक्री दिनांक 29–07–1998 में मर्ज हो चुकी थी, इसके बावजूद निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–1997 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील अपीलीय न्यायलय के समक्ष संधारण योग्य नहीं थी, न ही उनके द्वारा प्रस्तुत अपील में निर्णय व डिक्री दिनांक 28–02–1997 निरस्त की जा सकती थी। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण ने आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया था, जिसके विचाराधीन रहते हुये भी अपीलीय न्यायालय ने अपील को पोषणीय मान कर इसे स्वीकार कर गम्भीर त्रुटि की है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 व 3 मोतीराम व घेवरराम पुत्रान गोरधनराम स्वयं व जरिये अधिवक्ता न्यायालय में दिनांक 27–09–1993 व 06–12–1993 को उपस्थित हो चुके थे जो प्रत्यर्थी संख्या 1 मोटाराम के सगे भाई हैं। मोटाराम पुत्र गोरधनराम को वाद में विधिवत रूप से

नोटिस तामील करवाये गये थे। ऐसी स्थिति में जब स्वयं मोटाराम पुत्र गोरधनराम के सगे भाई न्यायालय में उपस्थित होकर पैरवी कर रहे थे तो प्रत्यर्थी संख्या 1 का यह कहना कि उसे वाद में विधिवत रूप से नोटिस तामील नहीं करवाये गये, असत्य होना साबित करता है। इसी प्रकार सुजाराम के वारिसान विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 4 लगायत 8 थे जिसमें जोराराम, रामुराम व मंगलाराम, सुजाराम के पुत्र थे तथा श्रीमती गंगा उर्फ दाखुडी व पप्पू स्व० सुजाराम की पुत्रवधु व पौत्र थे। उक्त पाँचों व्यक्तियों को न्यायालय द्वारा वाद में विधिवत रूप से नोटिस तामिल करवाये गये थे, जिसमें प्रतिवादी संख्या 4 व 6 जोराराम व मंगलाराम पुत्रान सुजाराम परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हुये थे। प्रतिवादी संख्या 5, 7 व 8 बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध वाद में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश प्रदान किये गये और साक्ष्य का अवलोकन करने के पश्चात एवं सुनवाई करके निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी है, जो विधि अनुसार है। दावे में संशोधन पश्चात प्रतिवादीगण को पुनः नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। भूमि पर अपीलार्थीगण के पिता प्रभुराम व उसके दोनों भाईयों का बराबर हक अधिकार था लेकिन वक्त सेटलमेंट पर्चा सिर्फ दोनों भाईयों गोरधनराम व सूजाराम के नाम ही आया था, इसलिए अपीलार्थीगण अपनी पुश्तैनी भूमि में 1/3 हिस्से की घोषणा के अधिकारी साबित हैं तथा विचारण न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है। प्रतिवादी संख्या 9 हीराराम ने निर्णय के विरूद्ध कोई अपील नहीं की है जिससे उसका निर्णय व डिक्री को स्वीकार करना ही माना जायेगा। अपीलीय न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की अनदेखी करते हुये निर्णय पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण का 1/3 हिस्सा होने को अस्वीकार नहीं किया है इसलिए उनका अधीनस्थ निर्णय व डिक्री को इनटोटो निरस्त करना विधिविरूद्ध होकर उन्हें अपीलार्थीगण को एकतिहाई हिस्से की घोषणा कर बँटवारे की प्रारम्भिक डिक्री जारी करनी चाहिए थी। उनका निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रत्यर्थीगण को उनके आदेश 9 नियम 13 प्रार्थना पत्र पर विचारण न्यायालय को कार्यवाही हेतु निवेदन करने का आदेश त्रुटिपूर्ण होकर विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21–12–2000 को निरस्त फरमाया जावे। विद्वान अधिवक्ता द्वारा समर्थन में न्यायिक नजीर 1998 (2) डीएनजे (राज.) पेज 767 व 2006 (2) आरआरटी पेज 1092 का उल्लेख किया गया।

5– उपरोक्त तर्कों का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने अभिकथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी के दादा छोगाराम के नाम कभी

नहीं रही और न ही उनके द्वारा विवादित भूमि पर किसी प्रकार की काश्त की गई, बल्कि यह भूमि जोधपुर महाराजा की जागीर भूमि थी। जोधपुर महाराजा को लगान गोर्वधन व सुजाराम ही देते थे। इस भूमि पर कभी भी सेटलमेन्ट विभाग ने कोई कार्यवाही नहीं की थी और ना ही सेटलमेन्ट विभाग द्वारा गोरधनराम व सुजाराम को खातेदारी दी गई थी। सारे कथन पूर्णतया असत्य हैं। विवादित भूमि पर न तो प्रभुराम का कभी कब्जा था और ना ही उनके वारिसों का कब्जा रहा है। सेटलमेन्ट का कोई पर्चा खातेदारी वाद में पेश नहीं किया गया, बल्कि वादीगण द्वारा दावे में बनावटी व झूठे कथन किये गये हैं। सम्वत 2011 में प्रतिवादीगण इस जागीर भूमि पर टिनेन्ट थे तत्पश्चात जागीर रिज्यूम्पशन एक्ट लागू होने पर धारा 9 के तहत वे स्वतः खातेदार हो गये। राजस्थान टिनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत दावे में उक्तानुसार हुई कार्यवाही को जागीर एक्ट की धारा 46 व 47 अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि जागीर एक्ट की धारा 9 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त होना अंतिम होकर यह राजस्व एवं दीवानी न्यायालय में चुनौती योग्य नहीं है। माईनर पप्पू पुत्र गंगाराम के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अवैध व प्रभाव शून्य है। दावे में श्रीमति गंगराम पत्नि गंगाराम नाम से पक्षकार बनाना अवैध होकर न्यायिक सिद्धान्तों के विरूद्ध है। इस नाम की कोई औरत गॉव में नहीं रहती है। मु0 दाखुड़ी बेवा गंगाराम का नाम अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील में ही लिखा है तथा अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने अपनी लिखित बहस में ही श्रीमति गंगाराम उर्फ दाखुड़ी का उल्लेख किया है। वादी द्वारा दावा दर्ज करने के बाद प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा बिना तनकीयात कायम किए नाथूराम, मदन, मंगलाराम व बद्रीनारायण के बयान कराए गए। वादी द्वारा अपनी एकपक्षीय साक्ष्य पूरी करने के बाद आदेश 6 नियम 17 सीपीसी के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र पेश किया था। संशोधन वाद में वादीगण के बँट में खसरा नम्बर 166 रकब 27 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 346 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 344 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा व खसरा नम्बर 70 रकबा 20 बीघा आना बताकर इस विशिष्ठ भूमि की खातेदारी देने की मांग की गई थी। इस संशोधन से वाद की प्रकृति ही पूर्णतः बदल जाती है। विचारण न्यायालय को इस महत्वपूर्ण स्थिति पर ध्यान देते हुये संशोधन पश्चात प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने चाहिए थे। विचारण न्यायालय ने बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का मौका दिये गम्भीर त्रुटिपूर्ण कार्यवाही कर वादीगण की साक्ष्य पूरी होने के बाद दावे को बिल्कुल भिन्न स्वरूप में परिवर्तित करने की अनुमति दे दी तथा प्रतिवादीगण को बिना अपना पक्ष रखने का अवसर दिये वादीगण ने बिना कोई साक्ष्य कराये बाले–बाले साजपूर्वक डिक्री जारी करवा ली।

6— विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थीगण ने बहस में यह भी अभिकथन किया कि मूल दावे में प्रतिवादीगण की विधिवत तामील न होने पर भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से उनकी तामील मान एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश कर दिया। निर्णय व डिक्री में जो खसरा नम्बर व रकबा प्रतिवादीगण को प्रदान किये गये हैं उनका हवाला न दावे में है और न ही साक्ष्यों में। इसलिए प्रतिवादीगण को निर्णय व डिक्री में उल्लेखित भूमि जिस आधार पर दी गई है वह पूर्णतः काल्पनिक होकर निराधार है। वाद में भूमि का पुश्तैनी होने का कोई साक्ष्य नहीं है। मौखिक साक्ष्यों मंगलाराम व बद्रीनारायण के बयानों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने से इनकी साक्ष्यों में कोई वैल्यू नहीं है। निर्णय व डिक्री में अनेक खसरा नम्बर ऐसे उल्लेखित हैं जो वादपत्र में हैं ही नहीं। प्रतिवादी संख्या 9 हीराराम के हिस्से बाबत उल्लेख किसी साक्ष्य में नहीं है और न ही संशोधित दावे में उसके नाम अंकित भूमि को हटाने की कोई रिलीफ अथवा इसका आधार अंकित है, इसलिए बिना उसे सुनवाई का अवसर दिये निर्णय व डिक्री में उसकी खातेदारी समाप्त कर देना गम्भीर त्रुटिपूर्ण निर्णय है। जहां नोटिस तामील प्रोपर नहीं हुई है, वहां अपीलीय न्यायालय को धारा 96 (2) के तहत अधीनस्थ न्यायालय की एकपक्षीय निर्णय व डिक्री अपास्त करने का पूरा अधिकार है। विचारण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी व वादीगण अधिवक्ता ने मिलीभगत व धोखाधड़ी कर विधि व न्यायिक प्रक्रिया के प्रावधानों का गम्भीर उल्लंघन कर निर्णय पारित किया गया है जो किसी भी प्रकार से सही तथा कानूनी आधार पर निर्णय नहीं माना जा सकता है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में सभी त्रुटियों तथा गलत कार्यवाही पर विस्तार से विवेचना कर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त किया गया है, जिसमें कोई हस्तक्षेप योग्य त्रुटि नहीं है। अतः प्रस्तुत अपील खारिज की जाये। उनके द्वारा बहस में प्रस्तुत तर्कों के समर्थन में न्यायिक नजीर 1968 एआईआर (एससी) पेज 900, 1991 आरआरडी पेज 103, 1993 आरआरडी पेज 462 व 688, 1969 एआईआर (एससी) पेज 954, 2003 आरआरडी पेज 504, 2011 आरआरडी पेज 766, 1954 एआईआर (एससी) पेज 340 तथा मण्डल न्यायालय में प्रकरण संख्या अपील डिक्री/टीए/7741/2019/नागौर में पारित निर्णय दिनांक 30—7—2025 की प्रति पेश की गई।

7— हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील मीमों तथा अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का गहनता से आद्योपांत अध्ययन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया गया।

8— अपीलार्थीगण वादीगण नाथूराम व मदन पुत्रान प्रभूराम द्वारा विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर जोधपुर में विवादित भूमि खसरा नम्बर 58, 96,

166, 346, 188, 70, 340 व 350 कुल रकबा 234 बीघा 12 बिस्वा के मिन नम्बर भी लिखते हुये भूमि उनके परिवार की पैतृक आराजीयात होकर पूर्व में उनके दादा छोगाराम के हक अधिकार की होना क्लेम कर इसमें 1/3 हिस्से की खातेदारी घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र अनुसार छोगाराम की मृत्यु पश्चात उनके दो पुत्रों गोरधनराम व सुजाराम ने सम्पूर्ण भूमि अपने नाम अंकित करवा ली, जबकि इस पैतृक भूमि में वादीगण के पिता प्रभूराम का भी तीसरा हिस्सा बनता है। दावे में गोरधनराम व सुजाराम के उत्तराधिकारियों को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तथा हीराराम को प्रतिवादी संख्या 9 बनाया गया। मूल वाद में पक्षकार संयोजन अनुसार गंगाराम की पत्नि को ''श्रीमति गंगाराम'' के नाम से तथा गंगाराम के नाबालिग पुत्र पपू को ''जरिये कुदरती वली माता श्रीमति गंगाराम'' के नाम से पक्षकार बनाया गया। हालांकि द्वितीय अपील में अपीलांट्स ने गंगाराम की पत्नि को दाखुड़ी नाम लिखते हुये प्रत्यर्थी संख्या 3 बनाया है, लेकिन मूल दावे में इस प्रकार पक्षकार अंकन को उचित नहीं माना जा सकता है। दावे में समस्त कार्यवाही, साक्ष्य, निर्णय व डिक्री तथा डिक्री पालना का सुचारू तथा विधिसम्मत सम्पादन होने हेतु यह आवश्यक है कि पक्षकार को उसका सही नाम व पता लिखते हुये दावे में संयोजित किया जावे। इस प्रकार हम दावे के उनवान को ही त्रुटिपूर्ण होना मानते हैं।

9— दावे में प्रतिवादीगण के नोटिसों की तामील का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 रामूराम, प्रतिवादी संख्या 2 मोटाराम, प्रतिवादी संख्या 7 श्रीमति गंगाराम, प्रतिवादी संख्या 8 पपू तथा प्रतिवादी संख्या 9 हीराराम इन सभी के नोटिस प्रतिवादी संख्या 4 जोराराम द्वारा ही प्राप्त किये गये हैं। वादपत्र में प्रस्तुत सजरे अनुसार हीराराम तथा मोटाराम दोनों जोराराम के परिवार से संबंधित नहीं हैं, इसलिए आदेश 5 सीपीसी के प्रावधानानुसार इन दोनों की प्रोपर तामील नहीं मानी जा सकती। प्रतिवादी सख्या 7 व 8 गंगाराम के वारिस होकर इनकी जोराराम पर तामील इस आधार पर भी विधिसम्मत नहीं है कि पपू नाबालिग होकर उसकी माता संरक्षक होने से नाबालिग के हितों की सुरक्षार्थ माता पर व्यक्तिशः तामील होनी आवश्यक थी। माता को भी बिना नाम लिखे पक्षकार बनाया जाना मूलतः ही गलत है, इसलिए तामील स्वतः ही त्रुटिग्रस्त हो जाती है। हमारे मतानुसार मूल दावे में पक्षकार बनाना तथा तामील प्रक्रिया दोनों ही त्रुटिपूर्ण होकर विचारण न्यायालय द्वारा अनेक प्रतिवादीगण की प्रोपर तामील मानकर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश करना गम्भीर रूप से दोषग्रस्त कार्यवाही है।

10— विचारण न्यायालय का दावे के विचारण व निर्णय करने में अनेक प्रक्रियात्मक खामियां तथा अस्पष्टता है। वादीगण ने अपनी एकपक्षीय साक्ष्य करवाने पश्चात आदेश 6 नियम 17 सीपीसी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह

निवेदन करते हुये दावे में संशोधन चाहा कि दावा अभी प्रारम्भिक अवस्था में ही है। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26–2–1997 को प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इसके साथ ही बिना कोई साक्ष्य करवाये सीधे ही दावे में अंतिम बहस सुनकर दिनांक 28–2–1997 को दावा डिक्री कर दिया गया। संशोधित दावे में वादीगण द्वारा मूल दावे अनुसार कुलियां भूमि में अपनी एक तिहाई हिस्से की घोषणा की रिलीफ यथावत रख स्वयं को बंटवारे में आराजी नम्बर 346 रकबा 8.7 बीघा, 166 रकबा 27.8, 344 रकबा 1.5 बीघा, 70 रकबा 20 बीघा कुल 57 बीघा मिलना बता कर इस भूमि को स्वयं के नाम दर्ज करवाने की रिलीफ भी जोड़ दी गई। निर्णय में वादीगण, प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 8 को भिन्न–भिन्न नम्बरों में अलग–अलग रकबा मिलना उल्लेख कर दावा डिक्री कर दिया गया। इस प्रकार घोषणा का प्रस्तुत दावा बाद में विभाजन के वाद के रूप में प्रस्तुत होने तथा वादीगण द्वारा विशिष्ठ भूमि पर हक अधिकार का क्लेम जोड़ देने से दावे के स्वरूप में उल्लेखनीय भिन्नता आ चुकी थी। विचारण न्यायालय को इस तथ्य पर मनन कर प्रतिवादीगण की पुनः तलबी करनी चाहिये थी जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर मिल पाता।

11– संशोधित दावे में वादीगण द्वारा स्वयं के हिस्से में आयी भूमि का ही उल्लेख किया गया था। क्यों कि संशोधित दावा पेश होने उपरान्त कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई तथा पूर्व में करवाई साक्ष्यों में पक्षकारान के मध्य भूमि विभक्ति का विशिष्ठतः कोई उल्लेख नहीं था, इसलिये यह पूर्णतः अस्पष्ट है कि निर्णय व डिक्री में प्रतिवादीगण के पक्ष में रखे नम्बर व उनके रकबों का क्या आधार रहा। पूर्व में प्रस्तुत व प्रदर्शित प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस दस्तावेज की छाया प्रति पर ही संशोधित दावे में अपीलार्थीगण की भूमि प्रदर्शित करने हेतु बिना कोई अधिप्रमाणन हरा रंग कर प्रस्तुत करना अनुचित था तथा इसे भी साक्ष्य में अलग से प्रदर्श भी नहीं करवाया गया। राजस्व रिकॉर्ड में हीराराम भी कतिपय नम्बरों का खातेदार था, लेकिन बिना साक्ष्यों में कोई उल्लेख एवं निर्णय में उसकी खातेदारी हटाने का कोई विश्लेषण किये आदेश व डिक्री में उसके हक अधिकार विलुप्त कर दिये गये। दोनों वादीगण के अतिरिक्त मौखिक साक्ष्य में पेश हुये मंगलाराम व बद्रीनारायण के बयानों पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर न होने से उनके बयाने साक्ष्य में विधिवत मान्य नहीं हैं। वादीगण द्वारा कुल विवादित भूमि 234 बीघा 12 बिस्वा में 1/3 हिस्से की घोषणा की रिलीफ मांगी गई जिसे निर्णय में भी स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसी निर्णय में लगभग 78 बीघा की बजाय उन्हें 57 बीघा भूमि ही किस आधार पर दी गई, यह पूर्णतः अस्पष्ठ है। निर्णय में घोषणा का अनुतोष स्वीकार करने में मिन नम्बर भी लिखे गये हैं, लेकिन निर्णय में ही अलग–अलग पक्षकारों के हक में रखी भूमि में इनका उल्लेख नहीं है। इसी तरह वादीगण को दी गई

भूमि बाबत निर्णय एवं डिक्री में भी परस्पर भिन्नता है। अपीलार्थीगण वादीगण द्वारा विवादित भूमि पूर्व में छोगाराम के हक अधिकार की होकर पक्षकारान की पैतृक होने के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश न करने पर भी विचारण न्यायालय द्वारा उनका क्लेम स्वीकार कर दावा डिक्री किया गया है। समस्त विश्लेषण अनुसार हमारा मानना है कि दावे के विधिक प्रक्रिया अनुसार विचारण एवं निर्णय करने में महत्वपूर्ण प्रक्रियात्मक तथा तथ्यपरक गलतियां होने से विचारण न्यायालय का निर्णय गंभीर रूप से दोषग्रस्त होकर निरस्तनीय है।

12– प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 21–12–2000 में विचारण न्यायालय के निर्णय को विस्तृत रूप से विश्लेषित कर दावा विचारण तथा निर्णय करने में रखी गई लापरवाही तथा त्रुटियों को पैरावाईस स्पष्ट रूप से विवेचित किया गया है। विचारण न्यायालय में प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने तथा निर्णय गंभीर रूप से त्रुटिग्रस्त होने से हम अपीलार्थीगण की धारा 5 मियाद अधिनियम पर आपत्ति स्वीकारयोग्य होना नहीं मानते हैं। लेकिन अपीलीय न्यायालय द्वारा धारा 96(2) सीपीसी के तहत दायर अपील को गुणावगुण पर ही परीक्षित किया जा सकना बता कर एक पक्षीय कार्यवाही तथा नोटिस तामील संबंधी उजर को आदेश 9 नियम 13 के आवेदन में विचारण योग्य मानकर इस हेतु प्रत्यर्थीगण को अपना पक्ष विचारण न्यायालय में रखने के अभिमत से हम सहमत नहीं हैं। धारा 96(2) के तहत एकपक्षीय डिक्री के विरूद्ध दायर अपील में सम्मन तामील संबंधित आपत्ति को भी प्रस्तुत कर जारी डिक्री निरस्त करवायी जा सकती है। इस क्रम में हम विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक द्वष्टान्त 2003 आरआरडी पेज 504 को इस अपील में चस्पा योग्य होना मानते हैं। मातहत अपीलीय न्यायालय ने अपीलार्थीगण के विवादित भूमि में 1/3 हिस्सा अधिकार प्राप्त करने के क्लेम पर विस्तृत गुणावगुण पर विवेचन न कर अपना अभिमत नहीं दिया है। हमारा भी मानना है कि इस बिंदु पर उभय पक्ष का पक्ष व साक्ष्य लेने उपरान्त विचारण न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णयन किया जाना चाहिए। प्रत्यर्थी पक्ष इस संबंध में अपनी तथ्यपरक तथा विधिक आपत्तियों के साथ विचारण न्यायालय में अपना प्रतिरक्षा पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। समस्त विश्लेषण अनुसार मातहत अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय का प्रकरण के विचारण व निर्णय में गंभीर गल्तियां करने बाबत विश्लेषण पर हम सहमति रखते हैं, लेकिन उनका अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री को अपास्त कर प्रकरण को रिमाण्ड करने के साथ–साथ आदेश 9 नियम 13 के तहत प्रत्यर्थीगण को नोटिस तामील पर आपत्ति के साथ एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करवाने हेतु विचारण न्यायालय में अपना पक्ष रखने का निर्णय दिया जाना औचित्यपूर्ण आदेश नहीं है। उन्हें नोटिस तामील पर आपत्ति को भी

सुनते हुये बाद विवेचन अपना विनिश्चय दिया जाना चाहिये था। इस प्रकार प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी विधिक आधार पर परिपूर्ण न होकर निरस्तनीय है तथा प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषण योग्य है।

13– अतः विवेचन अनुसार निर्णय स्वरूप हस्तगत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर तथा उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर का निर्णय व डिक्री क्रमशः दिनांक 21–12–2000, दिनांक 28–02–1997 व संशोधित डिक्री दिनांक 29–07–1998 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण पुनः विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी प्रतिवादीगण को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये जवाब दावा लेकर तनकीयात कायम करते हुए उभयपक्ष की साक्ष्य लेकर दावे पर विधिसम्मत विचारण उपरान्त इसे गुणावगुण पर निर्णय द्वारा पुनः निस्तारित किया जावे।

पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर की जावे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(डॉ. शिव प्रसाद सिंह)
सदस्य